

# अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 02/2016-17

जोगेन्द्र टुटी।

वनाम

श्रीमती मंगला सुलंकी एवं 3 अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>यह वाद दिनांक- 02.05.2016 को जोगेन्द्र टुटी, पिता- स्व० बिरसा टुटी, निवासी ग्राम- कुमिरता, थाना- कुमारडुँगी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Suit for partition of the property described in the Schedule में वर्णित भूमि के एवज में प्रतिवादी 1. श्रीमती मंगला सुलंकी, पति- उपेन्द्र सुलंकी, 2. कृष्णा सुलंकी, 3. सामन सुलंकी, दानों का पिता- स्व० उपेन्द्र सुलंकी, ग्राम- कुमिरता, थाना- कुमारडुँगी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से दोनों पक्षों द्वारा पैरवी नहीं करने के कारण नोटिस किया गया, नोटिस तामिला भी प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों के द्वारा नोटिस लेने के बाद भी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि वादी/प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"><i>lip</i> 30.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p style="text-align: right;"><i>lip</i> 30.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	